JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में वर्तमान समय में संविधानवाद की स्थिति : एक समीक्षात्मक अध्ययन

ब्रजेश कुमार
अतिथि सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
आर बी एस कॉलेज, अंदौर, समस्तीपुर।
Email Id. – brajesh.kushwaha1990@gmail.com

शोध सारांश : संविधानवाद राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह अवधारणा विधि के शासन, शक्ति पृथक्करण, न्यायिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार एवं सर्वोच्च संविधान आदि व्यवस्थाओं पर व्यापक बल देती है। यह अवधारणा नागरिकों को पूरी व्यवस्था के केंद्र में रखती है। यह अवधारणा सीमित सरकार का समर्थन करती है। भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान में संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के नागरिकों के लिए लिखित रूप से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए हैं ताकि विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण एवं न्यायिक स्वतंत्रता आदि की व्यवस्था विद्यमान रहे। भारत में वर्तमान समय में लोगों को व्यापक स्वतंत्रता है। देश में वर्तमान समय में केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु विविध पहलें की जा रही हैं। इसके बावजूद भी भारत में वर्तमान समय में संविधानवाद के समक्ष विभिन्न चुनौतियां विद्यमान हैं जिनके समाधान हेतु नवीन पहल की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द : विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण, नागरिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च संविधान,लोकतंत्र एवं सीमित सरकार।

भूमिका

भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां संविधानवाद की विभिन्न विशेषताएं विद्यमान हैं। भारत में भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। यह संविधान एक लिखित एवं वृहत संविधान है। भारत में संविधान में भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में सरकार

के विभिन्न अंगों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन किया गया है ताकि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बना रहे। इसके अतिरिक्त संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता, विधि का शासन एवं सीमित सरकार के संबंध में भी व्यापक वर्णन है। इसके बावजूद भी अभी भी देश में संविधानवाद के समक्ष विभिन्न चुनौतियां विद्यमान हैं। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार एवं कई राज्य सरकारों के विभिन्न अंगों में टकराव की बातें सामने आई है। देश में न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लोगों को न्याय मिलने में कई वर्षों तक का समय लग रहा है। देश में अभी भी कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं मौजूद है। हाल के वर्षों में कई संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हैं। इन सभी चुनौतियों के समाधान हेतु नवीन कदमों की आवश्यकता है।

संविधानवाद : अर्थ एवं विशेषताएं

संविधानवाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा है। यह विचारधारा न सिर्फ किसी भी देश में एक मजबूत संविधान की वकालत करती है बल्कि वह संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था, विधि के शासन की प्रमुखता एवं लोककेंद्रित व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए , इस पर बल देती है। यह सरकार को एक साधन के रूप में स्वीकार करती है। इस विचारधारा की विशेषताएं निम्न है –

1. संविधान की सर्वोच्चता : यह विचारधारा संविधान को सर्वोच्च मानती है। इसका मानना है कि किसी भी देश में शासन व्यवस्था तभी जन केंद्रित हो सकती है जब संबंधित देश में संविधान सर्वोच्च हो। संविधान सर्वोच्च होने की स्थिति में संबंधित देश में कोई भी विधि या सरकारी आदेश संविधान के विरुद्ध अमान्य होता है।

2. शक्तियों का पृथक्करण : यह विचारधारा शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का समर्थन करती है। इसका मानना है कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत होने से सरकार के विभिन्न अंगों में टकराव की समस्या उत्पन्न नहीं होती है।

3. विधि का शासन : यह विचारधारा विधि के शासन का समर्थन करती है। इसका मानना है कि किसी भी देश में शासन न्यायप्रिय तभी हो सकता है जब वहां विधि का शासन हो। विधि के शासन की स्थिति में सामाजिक समानताएं भी स्थापित होती है।

4. न्यायिक स्वतंत्रता : यह विचारधारा न्यायिक स्वतंत्रता का समर्थन करती है। इसका मानना है कि न्यायिक स्वतंत्रता की स्थिति में ही लोगों को उचित समय पर सही न्याय मिल पाता है।

5. लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन : यह विचारधारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करती है। इसका मानना है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थिति में ही लोगों को शासन से सभी सहयोग मिल पाता है।

6. सीमित सरकार : यह विचारधारा सीमित सरकार का समर्थन करती है। इसका मानना है कि सीमित सरकार की स्थिति में ही लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है।

भारत में वर्तमान समय में संविधानवाद की स्थिति

भारत में वर्तमान समय में संविधानवाद के संबंध में सकारात्मक एवं नकारात्मक स्थिति निम्न है –

सकारात्म स्थिति

1. गुणात्मक लोकतंत्र : भारत में गुणात्मक लोकतंत्र की उपस्थिति संविधानवाद की सकारात्मक स्थिति को रेखांकित करती है। देश में लोकतंत्र जो वास्तव में जनता का शासन है, सरकार के प्रत्येक कार्य में रेखांकित होता है।

2. सर्वोच्च, लिखित एवं वृहत संविधान : भारत में संविधान निर्माताओं के द्वारा लिखित एवं वृहत संविधान का निर्माण किया गया है। यह संविधान सर्वोच्च है। इसका कारण यह है कि देश में कोई भी विधि,नियम एवं परिनियम संविधान से सर्वोच्च नहीं होता है।

3. मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्त्वों का उल्लेख : भारत में नागरिकों के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्त्वों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु भी व्यापक प्रावधान किया गया है।

4. स्वतंत्रत एवं निष्पक्ष न्यायपालिका : भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की उपस्थित है। देश में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का भी अधिकार प्राप्त है।

5. शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत : भारत में संविधान निर्माताओं के द्वारा सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्ति पृथक्करण का स्पष्ट वर्णन किया गया है। संविधान निर्माताओं ने सरकार के विभिन्न अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन व्यापक तरीके से किया है।

6. आरक्षण की व्यवस्था : देश में संविधान निर्माताओं के द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की पूर्ण स्थापना करना है।

नकारात्मक स्थिति

1. सामाजिक एवं आर्थिक असमानता : हाल के वर्षों में देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया तीव्र हुई है। इसके बावजूद भी अभी भी देश के अधिसंख्य नागरिकों के समक्ष सामाजिक एवं आर्थिक असमानता की समस्या विद्यमान है। देश में धन की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है।

2. न्यायपालिका की समस्याएं : देश में अभी भी लोगों को विभिन्न न्यायिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं। इस कारण लोगों को न्याय प्राप्त करने हेतु वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है ।

3. बेरोजगारी की समस्या : हाल के वर्षों में देश में रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध हुए हैं। इसके बावजूद भी अभी देश में युवाओं के समक्ष बेरोजगारी है एक गंभीर समस्या के

रूप में विद्यमान है। बेरोजगारी के कारण कतिपय सामाजिक समस्याएं जैसे निर्धनता, अशिक्षा एवं असमानता आदि भी विद्यमान है।

4. केंद्रीकरण की प्रवृत्ति : हाल के वर्षों में देश में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है। केंद्रीकरण की बढ़ती हुई प्रवृति के कारण कतिपय संवैधानिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं।

5. मीडिया की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह : हाल के वर्षों में कतिपय विश्लेषकों के द्वारा देश में मीडिया की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया है। इन विश्लेषकों का मानना है कि मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्थान माना जाता है, वह वर्तमान में एकपक्षीय दृष्टिकोण को अपना रहा है। यह संविधानवाद की प्रतिकूल स्थिति है।

6. सांप्रदायिक समस्याएं : कतिपय विश्लेषकों का मानना है कि हाल के वर्षों में देश में सांप्रदायिक समस्याओं में वृद्धि हुई है। कतिपय धार्मिक समूहों के द्वारा अपने धर्म एवं संप्रदाय को श्रेष्ठ बताने के कारण समाज में टकराव की समस्या सामने आने लगी है।

7. प्रशासनिक समस्याएं : कतिपय प्रशासनिक समस्याएं भी देश में संविधानवाद के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। इन प्रशासनिक समस्याओं में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही एवं कार्य कुशलता का अभाव आदि प्रमुख हैं।

निष्कर्ष एवं भविष्य की दिशा

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत में वर्तमान समय में संविधानवाद के संबंध में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों स्थितियां विद्यमान हैं। नकारात्मक स्थितियां वास्तव में देश में संविधानवाद के समक्ष चुनौतियां हैं। देश में संविधानवाद के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के समाधान हेतु नवीन पहलों की आवश्यकता है। इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण पहल निम्न हो सकते है –

1. न्यायिक समस्याओं का समाधान : देश में वर्तमान समय में न्यायिक समस्याओं का समाधान संविधानवाद की स्थापना की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा। देश में जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक बड़ी संख्या में मुकदमें लंबित हैं। वर्तमान में एक तय समय सीमा में लोगों को न्याय उपलब्ध कराने हेतु न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ वैधानिक कदम उठाने की जरूरत है।

2. सामाजिक एवं आर्थिक विकास : देश में वर्तमान समय में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को अपेक्षाकृत अधिक तीव्र करने की आवश्यकता है। देश में अभी भी सामाजिक एवं आर्थिक असमानता व्यापक स्तर पर विद्यमान है। इन असमानताओं को सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करके ही समाप्त किया सकता है।

3. प्रशासनिक समस्याओं का समाधान : देश में वर्तमान समय में कतिपय प्रशासनिक समस्याएं जैसे भ्रष्टाचार, लालफीताशाही एवं कार्य कुशलता का अभाव आदि व्यापक स्तर पर विद्यमान

हैं। ये समस्याएं वास्तव में संविधानवाद के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। इन प्रशासनिक समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र करने की आवश्यकता है।

4. सांप्रदायिक समस्याओं का समाधान : देश में वर्तमान समय में सांप्रदायिक समस्याएं संविधानवाद के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के समाधान हेतु दोषी व्यक्तियों या समूह के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

5. राजनीतिक सुधार : देश में वर्तमान समय में कतिपय राजनीतिक समस्याएं विद्यमान है जो संविधानवाद के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। इन राजनीतिक समस्याओं में परिवारवाद, धनबल का प्रयोग एवं बाहुबल का प्रयोग आदि प्रमुख हैं। इन समस्याओं को अतिशीघ्र समाप्त करने की जरूरत है।

संदर्भ सूची

1. ncert.nic.in
2. बसु, डी. डी. भारत का संविधान।
3. लक्ष्मीकांत, एम. भारत की राजव्यवस्था ।
4. कोठारी,रजनी, पॉलिटिक्स इन इंडिया, नई दिल्ली।
5. सिंहल, एस. सी. भारतीय शासन एवं राजनीति, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल,आगरा, 2007
6. सईद, एस. एम., भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत बुक सेंटर, लखनऊ।